सार्वजनिक सूचना

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ए०डी०बी० द्वारा वित्त पोषित परियोजना, जिसमें राजपुर रोड स्थित मसूरी डाईवर्जन से दिलाराम चौक तक सौन्दर्यीकरण किया गया है। उक्त निर्मित फुटपाथ पर लगी लाईटों की मरम्मत एवं रख–रखाव, बिल भुगतान, ट्री–गार्ड टाईल्स, बैंच, अम्ब्रेला मरम्मत, रंगाई पुताई व अन्य प्रकार के सभी कार्य की मरम्मत कराने का कार्य मैन्टीनेंस बेस पर किया जाना है। जिस हेतु मैन्टीनेंस बेस पर 15 वर्ष के लिये 10 X 6 फिट के 40 विज्ञापन पैनल डबल साईड सर्वे गेट बॉडी गार्ड के मध्य सड़क के दोनो ओर मसूरी डाईवर्जन तक विज्ञापन प्रदर्शित किये जाने का अधिकार दिया जाना है एवं 02 वैंडिंग क्योस्क लगाये जाने का अधिकार दिया जाना है। जिस हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 27-10-20 की अपरान्ह 2.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदाये स्वंय अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से भी निर्धारित तिथि समय तक इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जा सकती है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। निविदाये दिनांक 27-10-20 की सांय 4.00 बजे गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्र/शर्ते किसी भी कार्य दिवस मे दिनांक 26-10-20 की सांय 5.00 बजे तक भूमि अनुभाग में निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध है।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

पत्रांकः– 3996 /भूमि0–20, दिनांकः– 9/10/2020

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक राष्ट्रीय सहारा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में निर्धारित प्रतिशत के साथ देते हुए समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. सम्पादक दि पाईनियर अंग्रेजी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में निर्धारित प्रतिशत के साथ देते हुए समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु (मुख्यालय/शाखा कार्यालय)/जिलाधिकारी कार्यालय नोटिस बोर्ड/तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड हेतु।
4. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

निविदा फार्म का मूल्य रू0–10000–जी0एस0टी0–1800 कुल–11800/–

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(फो0- 0135-2714074 फैक्स-0135-2651060 ई-मेल-nagarnigam.ddn@gmail.com)

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत राजपुर रोड स्थित ए0डी0बी0 द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत राजपुर रोड मसूरी डाईवर्जन से दिलाराम चैक तक किये गये फुटपाथ सौन्दर्यीकरण पर प्राप्त ई0ओ0आई0 में संलग्न डिजाईन के अनुसार समस्त मैन्टीनेस कार्य के आधार पर 40 विज्ञापन पैनल एवं 02 वैन्डिंग क्योस्क स्थापित किये जाने का कार्य।

1. निविदा दाता का नाम :–..
2. निविदादाता का पता :–..
....
....
3. निविदादाता /विज्ञापन एजेन्सी का नाम :– ....
4. जमानत धनराशि :– रू0 ....(शब्दों में) ....
5. एफ0डी0आर0 / सी0डी0आर0 नं0 :– ....
6. बैंक का नाम :–..
7. निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली निविदा राशि अंकों में :– रू0 ....

(शब्दों में) ....

निविदादाता दाता के हस्ताक्षर :–..

निविदादाता का नाम :–..

निविदादाता का पूरा पता :– ....

निविदा की शर्ते एवं प्राविधान

1. स्वीकृति कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 वर्ष के लिये मान्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा विज्ञापन पैनल हेतु न्यूनतम् आरक्षित विज्ञापन शुल्क रू0–4,32,672/– प्रतिवर्ष निर्धारित है।
3. निर्धारित विज्ञापन शुल्क पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा।
4. स्वीकृत निविदा धनराशि पर 10 वृद्धि प्रतिवर्ष की जायेगी जो कि जो कि कम्पाउन्डिंग होगी।
4. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय पिछले 03 वर्ष की आई0टी0आर सर्टिफिकेट, पैनकार्ड, फर्म का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नं0, पिछले तीन वर्ष की टर्नओवर जो कि प्रतिवर्ष 2.00 करोड़ न्यूनतत् होनी चाहिये की सत्यापित प्रति तथा रू0–50 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से पुराना न हो को निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. विज्ञापन फर्म को स्वीकृत निविदा धनराशि की 15 वर्ष के गुणांक में 2 प्रतिशत धनराशि के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा।
6. यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने पर एजेन्सी को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी।
7. निविदा के साथ रू0–2,64,151/–- की धनराशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 05 वर्ष के लिये संलग्न करनी अनिवार्य है। पांच वर्ष पश्चात संलग्न एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 को पुनः नवनीकरण कराकर रू0–4,25,417 की एफ0डी0आर0 तथा अन्तिम 5 वर्ष के लिये पिछली एफ0डी0आर0 को नवीनीकरण कराकर रू0–6,85,139 की एफ0डी0आर/सी0डी0आर0 संलग्न करनी होगी।
8. धरोहर/जमा धनराशि नगर आयुक्त नगर निगम के नाम प्लेज करनी अनिवार्य होगी।
9. निविदादाता द्वारा अपने रेट स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंको में लिखें जायेंगे व कटिंग होने की दशा में अपने हस्ताक्षर करने अनिवार्य होंगे।

10. निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।

11. निविदादादाता द्वारा निविदा स्वीकृत होने पर वित्तीय वर्ष के आधार पर निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 50 प्रतिशत 03 दिन के अन्दर तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि माह मार्च 2020 तक निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा न करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।

12. नगर निगम के डिफाल्टर व बकायेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नही होंगे। सम्बन्धित निविदादाता/फर्म भारत सरकार एवं राज्य सरकार के किसी भी विभाग में डिफाल्टर नही है। इस आशय का एक रू0.–10 के स्टॉम्प पर शपथपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. निविदा डाक के माध्यम से अथवा स्वंय निर्धारित तिथि एवं समय तक भेजी जा सकती है।

14. विज्ञापन पैनल सड़क से 8 फिट की ऊंचाई पर लगाये जायेंगे। जिससे पैदल चलने वाले यात्रियो को असुविधा न हो।

15. विज्ञापन पैनल 10 X 06 फिट साईज के 40 विज्ञापन पैनल लगाये जायेंगे।

16. विज्ञापन पैनल इस प्रकार लगाया जाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगी।

17. विज्ञापन पैनल बॉडीगार्ड स्थित सर्वेगेट से मसूरी डाईवर्जन के मध्य चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापन पैनल नही लगाये जायेंगे।

18. विज्ञापन पैनल सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वंय के व्यय पर लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई धनराशि देय नही होगी।

19. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रदर्शित नही किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है कि तो रू0 25000/– विज्ञापन पैनल की दर से प्रति विज्ञापन पैनल अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।

20. विज्ञापन पैनल पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा विज्ञापन पैनल हेतु अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।

21 भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से कोई विज्ञापन पैनल हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घन्टें के अन्दर हटाना होगा।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।

23. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।

24. निविदादाता को दिनांक 30.09.2034 तक विज्ञापन/उक्त स्थल का मैन्टीनेंस कार्य सुचारू रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

25. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

26. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय–समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

27. कतिपय परिस्थितियों वश जब तक पुनः निविदा न हो जाये अथवा स्वीकृति को कार्य करने हेतु अधिकृत करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है। जिसकी दर गत वर्ष की दर से 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो सकती है।

28. निविदादात द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित नही किये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन नही लगाया जायेगा। यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगाया गया है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। जहां यह भी संज्ञान में आता है कि निविदादाता के किसी भी सगे सम्बन्धी, उसके ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन किया जाता है तो निविदादाता पर प्रति विज्ञापन रू0–25000/– का अर्थदण्ड लगाया जायेगा व उसको भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

29. विज्ञापन पैनल पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक से अन्तिम तक संख्या लिखा जाना भी अनिवार्य होगा।

30. उपरोक्त विज्ञापन पैनलों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ई0पी0एफ0, सेवाकर, बीमा तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था भी फर्म को स्वंय करनी होगी।

31. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में फुटपाथ पर लगी टाईल्स, बैंच लाईट लोहे के पैनल एवं ट्रीगार्ड आदि की रंगाई पुताई एवं मरम्मत समय–समय पर अपने स्तर से कराना होगा।

32. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉल पेन्टिंग, बिजली के खम्बों पर लगे क्योस्क व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वंय का होगा। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।

33. यदि किसी निविदादाता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिन्डीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नही करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

34. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

कर अधीक्षक, भूमि
नगर निगम, देहरादून।

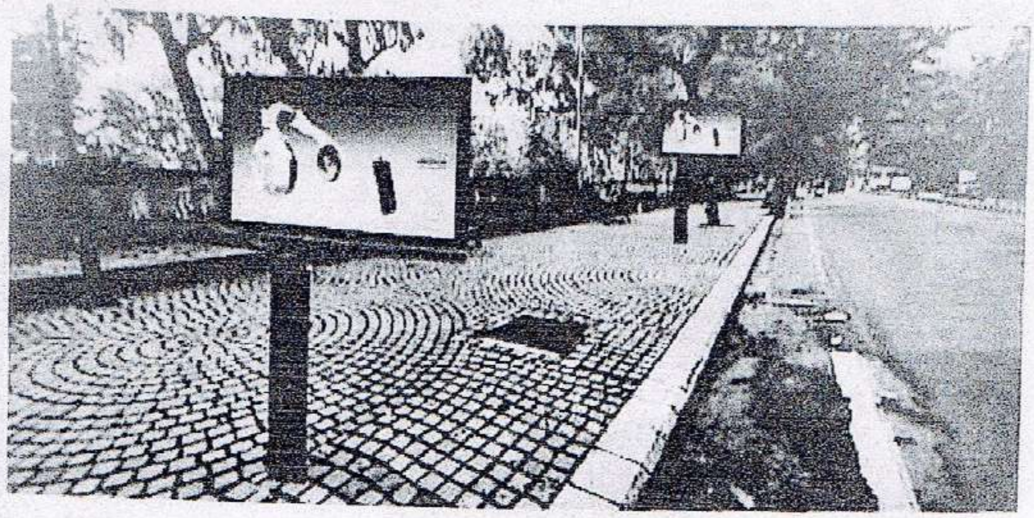

Pole mounted Glow Signs

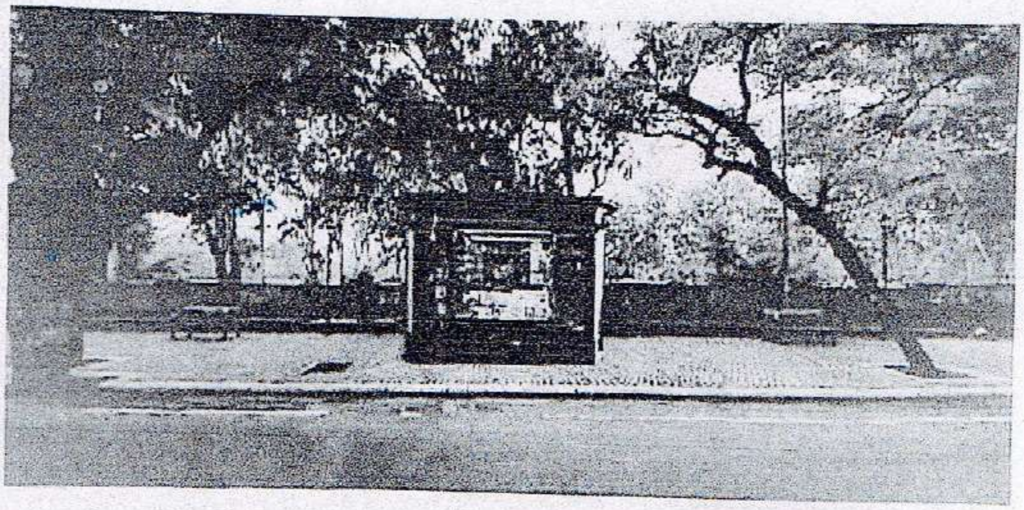

Vending Kiosk